

**ग्राम पंचायत पलेरा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176029 के
अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पलेरा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतपाल	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजीत कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजन वालिया	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जसविंदर सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत पलेरा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में अन्तर पाया जाना	1.17
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	18.48
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान अनियमित भुगतानों का पाया जाना	23.17
5.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.82
6.	8.3	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.60
7.	8.4	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.67
8.	8.5	वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त / अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.80
9.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान अनियमित भुगतान करना	49.48
10.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की अंकेक्षण के दौरान वसूली करना	0.01
11.	10.4	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पलेरा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त) मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर संख्या 254
2.	4	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
3.	5.1	अनिर्णीत
4.	5.2	अनिर्णीत
5.	6	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
6.	7	अनिर्णीत
7.	8(i)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
8.	8(ii)	अनिर्णीत
9.	9	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
10.	10	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
11.	11	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति के साथ पुनः प्रारूपित)
12.	12	अनिर्णीत

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पलेरा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.09.2024 से 19.09.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	06/2022	05/2022
2023-24	06/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 24/2024 दिनांक 06.09.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में दिया गया है:-

1. स्व: स्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	301921.00	509797.00	811718.00	608795.00	202923.00
2023-24	202923.00	397990.00	600913.00	495109.00	105804.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2460273.23	5834668.35	8294941.58	5153690.35	3141251.23
2023-24	3141251.23	4323180.49	7464431.72	5616422.49	1848009.23

कुल योग (1+2) = 105804.00 + 1848009.23 = **1953813.23**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **₹19,53,813.23** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹18,36,325.23**

(परिशिष्ट - "ग") से सम्बन्धित समाधान विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को (₹)
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय	KCCB गाहलियां	20111035870	105804.00
2	विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) व जिला पंचायत कार्यालय (DPO)	UBI दौलतपुर	5055805704	0.00
3	5वां राज्य वित्त (5th SFC), 13 वां वित्त	KCCB गाहलियां	50055805760	113574.00

4	आयोग (13TH FC)	KCCB काँगड़ा	20033022799	100897.23
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	UBI दौलतपुर	498102010011269	148900.00
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)	KCCB गाहलियां	50055805782	46164.00
7	सांसद निधि (MPLAD)	KCCB गाहलियां	50055805851	10277.00
8	इंदिरा आवास योजना (IAY)	KCCB गाहलियां	5055805602	0.00
9	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	KCCB गाहलियां	50072388508	1310709.00
10	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB गाहलियां	50055805828	0.00
	हस्तगत शेष (स्व स्रोत)			0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			1836325.23
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के पैरा 4(क) अनुसार अन्तशेष :-			₹19,53,813.23
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			₹18,36,325.23
	अंतर :-			₹1,17,488.00

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹1.17 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹1,17,488.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/पलेरा दिनांक 18.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्कीमवार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वार्ड बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी अंकेक्षण आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF) व ज़िला पंचायत कार्यालय (DPO)	KCCB	20111035870
2		गाहलियां	5055805704
3	5वां राज्य वित्त (5th SFC) व 13 वां वित्त आयोग (13TH FC)	KCCB गाहलियां	50055805760
4		KCCB काँगड़ा	20033022799

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF), ज़िला पंचायत कार्यालय (DPO), 5वां राज्य वित्त (5th SFC) और 13 वां वित्त आयोग (13TH FC) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह पंचायत की सच्ची व सही

वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/पलेरा दिनांक 18.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 19.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), जिला पंचायत कार्यालय (DPO), 5वां राज्य वित्त (5th SFC) और 13 वां वित्त आयोग (13TH FC) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्तोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/पलेरा दिनांक 18.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया

था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में वस्तुस्थिति अनुसार, नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹18.48 लाख का अवरोधन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 24/2024 दिनांक 06.09.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - "क" व परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹18,48,009.23 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/पलेरा दिनांक 18.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.13 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/पलेरा दिनांक 30.08.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 59 दिनांक 31.08.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना और मांग व संग्रहण पंजिका एवं संबंधित रसीदों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹12,545.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - " घ " पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/पलेरा दिनांक 18.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की मांग व संग्रहण पंजिका को पूर्ण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹ 23.17 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/पलेरा दिनांक 17.09.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 16 दिनांक 18.09.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाये परंतु ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट - " ड " पर संलग्न विवरणानुसार ₹23,16,987.00** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹ 23,16,987.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित जिला

खनन अधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹5.82 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है और नियम 79 के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 24/2024 दिनांक 06.09.2024 की अनुपालना में उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं वित्त वर्ष 2023-24 के व्यय हेतु चयनित माह 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा राशि ₹5,81,828.00 के स्टॉक/स्टोर के क्रय से संबंधित औपचारिकताओं को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निविदायें आमंत्रण विकास खण्ड अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय द्वारा किया गया था व इससे संबंधित रिकॉर्ड विकास खण्ड अधिकारी काँगड़ा कार्यालय में है जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः निविदा आमंत्रण एवं पारित करने संबंधी अभिलेख विकास खण्ड अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय से प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं सत्यापना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ

उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.60 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) विशिष्टियों, सामग्री का परिवहन के पैरा क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु कुल राशि **₹4,83,354.06** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण राशि **₹60,419.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारी की नमूना जांच व सत्यापना सहित नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.67 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹33,41,139.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹66,823.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से

जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.80 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, करधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 24/2024 दिनांक 06.09.2024 की अनुपालना में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु पौधों का क्रय हि० प्र० बागवानी विभाग को प्राथमिकता दिए बिना खुले बाजार से न्यूनतम निविदा दर के आधार पर आपूर्तिकर्ता को कुल राशि **₹1,22,775.00** का भुगतान किया गया था, परिणामस्वरूप हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि **₹79,500.00** का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान पाया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट " झ "** में संलग्न है। अगर पौधों की खरीद हि० प्र० बागवानी विभाग से की जाती तो सरकारी विभाग को आय होती एवं ग्राम पंचायत को राशि **₹79,500.00** की बचत होती जिसे ग्राम पंचायत किसी अन्य

विकास कार्य में इस्तेमाल कर सकती थी। इसके अलावा निदेशक एवं आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक SMS-1/2022-23/RDD-BA-plantation-6165-6200 दिनांक 14.08.2024 द्वारा भी निर्देश जारी किए गये कि पौधों की खरीद हेतु संबंधित सहायक निदेशक बागवानी विभाग या स्थानीय बागवानी अधिकारी से तकनीकी परामर्श एवं सिफारिश उपरांत विभागीय नर्सरी/ पंजीकृत नर्सरी को प्राथमिकता दी जाये।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि पंचायत द्वारा पौधों की खरीद निविदाओं के आधार पर की गई थी व भविष्य में पौधों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

अतः इस वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अतिरिक्त भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में पौधारोपण से पूर्व संबंधित सहायक निदेशक बागवानी विभाग या स्थानीय बागवानी अधिकारी से तकनीकी परामर्श एवं सिफारिश ली जाये व तदोपरान्त हि० प्र० बागवानी विभाग की विभागीय नर्सरी/ पंजीकृत नर्सरी से पौधों की खरीद को प्राथमिकता दी जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निर्माण माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

9.1 ग्राम पंचायत पलेरा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹49.48 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप

पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा पारित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹49,48,293.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न है। फलस्वरूप कृत भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में मनरेगा कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा व नियमानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन में पाई गई इस त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 निर्माण कार्यों की नमूना जाँच न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट " ज " पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नमूना जाँच एवं प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट " ज " पर संलग्न दृष्टांत मामलों ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1,200.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/पलेरा दिनांक 09.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 18.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20111035870 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1	जीवन सिंह	20.06.2022	19.07.2022	0432339	18.09.2024	₹ 200.00
2	विशाल	04.12.2022	12.01.2023	0432341	18.09.2024	₹ 200.00
3	संगीत भारती	09.12.2022	21.01.2023	0432342	18.09.2024	₹ 200.00
4	विशाल राणा	25.01.2023	06.03.2023	0432343	18.09.2024	₹ 200.00
5	विजय सिंह	06.02.2023	06.03.2023	0432340	18.09.2024	₹ 200.00
6	राजेश पटेल	21.09.2023	26.10.2023	0432344	18.09.2024	₹ 200.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक की पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹ 4,200.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/पलेरा



दिनांक 09.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 18.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता व क्रॉस मॉनिटरिंग के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage), दुर्विनियोजन एवं दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
7.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की	89	30

	प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर		
8.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/पलेरा दिनांक 10.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 18.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्ट्रों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्ट्रों में से निम्नलिखित रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

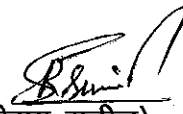
अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/पलेरा दिनांक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 19.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

30 NOV 2024


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

का/प्रति

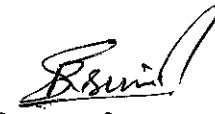
5795-5799

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)247/19-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवस्था कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत पलेरा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 NOV 2024


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

का/प्रति

ANNEXURE -1

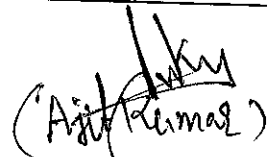
FINANCIAL POSITION OF GP PALERA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	301921.00	509797.00	811718.00	608795.00	202923.00
2023-24	202923.00	397990.00	600913.00	495109.00	105804.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2460273.23	5834668.35	8294941.58	5153690.35	3141251.23
2023-24	3141251.23	4323180.49	7464431.72	5616422.49	1848009.23

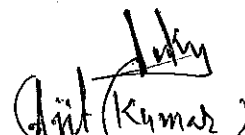

(Ajit Kumar)
Panchayat Secretary,
Gram Panchayat PALERA
Dev. Block Kangra,
Dist. Kangra (H. P.)



ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP PALERA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5thSFC	2022-23	238829.23	814688.00	1053517.23	742473.00	311044.23
		2023-24	311044.23	597223.00	908267.23	693796.00	214471.23
2	RGSA	2022-23	155620.00	5605.00	161225.00	0.00	161225.00
		2023-24	161225.00	4185.00	165410.00	16510.00	148900.00
3	VKVNY	2022-23	156084.00	53489.00	209573.00	106582.00	102991.00
		2023-24	102991.00	6143.00	109134.00	62970.00	46164.00
4	MPLAD	2022-23	9697.00	277.00	9974.00	0.00	9974.00
		2023-24	9974.00	303.00	10277.00	0.00	10277.00
5	IAY	2022-23	17500.00	209.00	17709.00	17709.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	13th FC	2022-23	119488.00	0.00	119488.00	0.00	119488.00
		2023-24	119488.00	0.00	119488.00	0.00	119488.00
7	15th FC	2022-23	1742067.00	1390394.00	3132461.00	695932.00	2436529.00
		2023-24	2436529.00	520146.00	2956675.00	1647966.00	1308709.00
8	SBM	2022-23	20988.00	252.00	21240.00	21240.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	72526.50	72526.50	72526.50	0.00
		2023-24	0.00	714470.00	714470.00	714470.00	0.00
10	MGNREGA	2022-23	0.00	3497227.85	3497227.85	3497227.85	0.00
		2023-24	0.00	2480710.49	2480710.49	2480710.49	0.00


Anil Kumar
Panchayat Secretary,
Gram Panchayat PALERA
Dev. Block Kangra.
Distt. Kangra (H.P.)

25



कार्यालय ग्राम पंचायत पलेरा, वि०ख० कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176029

ग्राम पंचायत पलेरा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंतशेष 31.03.2024	कुल बैंक अंतशेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), जिला पंचायत कार्यालय (DPO)	KCCB गाहलियां	20111035870	105804.00	105804.00	105804.00
2			5055805704	0.00		
3	5वां राज्य वित्त (5th SFC), 13 वां वित्त आयोग (13TH FC)	KCCB गाहलियां	50055805760	113574.00	214471.23	333959.23
4		KCCB कांगड़ा	20033022799	100897.23		
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	UBI दौलतपुर	498102010011269	148900.00	148900.00	148900.00
6	विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)	KCCB गाहलियां	50055805782	46164.00	46164.00	46164.00
7	सांसद निधि (MPLAD)	KCCB गाहलियां	50055805851	10277.00	10277.00	10277.00
8	इंदिरा आवास योजना (IAY)	KCCB गाहलियां	5055805602	0.00	0.00	0.00
9	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	KCCB गाहलियां	50072388508	1310709.00	1310709.00	1308709.00
10	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB गाहलियां	50055805828	0.00	0.00	0.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		0.00	0.00	0.00
		कुल योग		1836325.23	1836325.23	1953813.23

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	1953813.23
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	1836325.23
अंतर :-	117488.00

Secretary

Gram Panchayat

Dev. Block

(परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत पलेरा, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176029

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 640 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 643 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 9,300.00	640	₹ 50.00	₹ 32,000.00	₹ 41,300.00	₹ 34,625.00	₹ 6,675.00
2023-24	₹ 6,675.00	643	₹ 100.00	₹ 64,300.00	₹ 70,975.00	₹ 58,430.00	₹ 12,545.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹12,545/- है।							


(Ajit Kumar)
Panchayat Secretary,
Gram Panchayat PALERA
Dev. Block Kangra,
Distt. Kangra (H. P.)



ग्राम पंचायत पलेरा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशी ₹ 23.17 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	फार्म X / फार्म Y
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Sources)									
1	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2022-23/ P/09/20.10.2022	281/28.01.2022	Sand	₹ 46.00	440	cft	₹ 20,240.00	उपलब्ध नहीं है
2				Bajri	₹ 36.00	1080	cft	₹ 38,880.00	
3				Boulder	₹ 1,800.00	24	cft	₹ 43,200.00	
4	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2022-23/ P/11/20.10.2022	282/28.02.2022	Sand	₹ 46.00	878	cft	₹ 40,388.00	उपलब्ध नहीं है
5				Bajri	₹ 36.00	2076	cft	₹ 74,736.00	
6	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2022-23/ P/15/28.03.2023	348/01.05.2022	Sand	₹ 46.00	518	cft	₹ 23,828.00	उपलब्ध नहीं है
7				Bajri	₹ 38.00	1011	cft	₹ 38,418.00	
अनुदान शीर्ष : 5वां राज्य वित्त आयोग (5 th SFC)									
8	Chetan Singh Govt. Contractor	STHSFC/2022-23/ P/46/28.03.2023	349/02.06.2022	Sand	₹ 46.00	763	cft	₹ 35,098.00	उपलब्ध नहीं है
9				Bajri	₹ 38.00	1502	cft	₹ 57,076.00	
10				Boulder	₹ 1,800.00	18	Trolley	₹ 32,400.00	
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)									
11	Chetan Singh Govt. Contractor	VKVNY/2022-23/ P/2/20.10.2022	280/28.02.2022	Sand	₹ 46.00	474	cft	₹ 21,804.00	उपलब्ध नहीं है
12				Bajri	₹ 36.00	936	cft	₹ 33,696.00	
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)									
13	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2022-23/ P/11/14.09.2022	351/01.05.2022	Sand	₹ 46.00	234	cft	₹ 10,764.00	उपलब्ध नहीं है
14				Bajri	₹ 38.00	311.78	cft	₹ 11,847.64	
15	Britiya Ram	XVFC/2022-23/ P/17/03.02.2023	Receipt/ 03.02.2023	रेता	₹ 60.00	70	घोड़े	₹ 4,200.00	उपलब्ध नहीं है
16				बजरी	₹ 60.00	70	घोड़े	₹ 4,200.00	
17				बोडर पत्थर	₹ 60.00	42	घोड़े	₹ 2,520.00	
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
18	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	196/05/06/2021	Sand	₹ 1,626.00	25.5	Cum	₹ 41,463.00	उपलब्ध नहीं है
19				Bajri	₹ 1,262.00	48.5	Cum	₹ 61,207.00	
20				Boulder	₹ 1,162.00	4.41	Cum	₹ 5,124.00	
21	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	259/21/10/2021	Sand	₹ 46.00	470	cft	₹ 21,620.00	उपलब्ध नहीं है
22				Bajri	₹ 36.00	890	cft	₹ 32,040.00	
23				Boulder	₹ 1,800.00	25	Trolley	₹ 45,000.00	
24	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	258/02/08/2021	Sand	₹ 46.00	490	cft	₹ 22,540.00	उपलब्ध नहीं है
25				Bajri	₹ 36.00	860	cft	₹ 30,960.00	
26				Boulder	₹ 1,800.00	19	Trolley	₹ 34,200.00	
27	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	257/02/08/2021	Sand	₹ 46.00	460	cft	₹ 21,160.00	उपलब्ध नहीं है
28				Bajri	₹ 36.00	860	cft	₹ 30,960.00	
29				Boulder	₹ 1,800.00	20	Trolley	₹ 36,000.00	
30	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	170/01/07/2021	Sand	₹ 46.00	636	cft	₹ 29,256.00	उपलब्ध नहीं है
31				Bajri	₹ 36.00	1200	cft	₹ 43,200.00	
32				Boulder	₹ 1,350.00	32.85	cft	₹ 44,347.00	
33	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	260/21/10/2021	Sand	₹ 46.00	590	cft	₹ 27,140.00	उपलब्ध नहीं है
34				Bajri	₹ 36.00	1120	cft	₹ 40,320.00	
35				Boulder	₹ 1,800.00	8	Trolley	₹ 14,400.00	
36	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	261/22/10/2021	Sand	₹ 46.00	450	cft	₹ 20,700.00	उपलब्ध नहीं है
37				Bajri	₹ 36.00	860	cft	₹ 30,960.00	
38				Boulder	₹ 1,800.00	17	Trolley	₹ 30,600.00	
39	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	197/17/07/2021	Sand	₹ 1,626.00	12.93	cum	₹ 21,024.18	उपलब्ध नहीं है
40				Bajri	₹ 1,262.00	23.82	cum	₹ 30,060.84	
41				Boulder	₹ 1,162.00	6.93	cum	₹ 8,052.66	
वित्त वर्ष 2023-24									
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Sources)									
42	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2023-24/ P/16/31.01.2024	22/01.05.2023	Sand	₹ 46.00	375	cft	₹ 17,250.00	उपलब्ध नहीं है
43				Bajri	₹ 38.00	475	cft	₹ 18,050.00	
44				Boulder	₹ 1,800.00	9	Trolley	₹ 16,200.00	
45	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2023-24/ P/17/31.01.2024	23/01.07.2023	Sand	₹ 46.00	424	cft	₹ 19,504.00	उपलब्ध नहीं है
46				Bajri	₹ 38.00	859	cft	₹ 32,642.00	
47	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2023-24/ P/18/31.01.2024	402/01.07.2023	Sand	₹ 46.00	488	cft	₹ 22,448.00	उपलब्ध नहीं है
48				Bajri	₹ 38.00	258	cft	₹ 9,804.00	
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)									
49	Pawan Singh	VKVNY/2023-24/ P/2/14.12.2023	Receipt/ 14.12.2023	रेता	₹ 60.00	104	cft	₹ 6,240.00	उपलब्ध नहीं है
50				बजरी	₹ 60.00	188	cft	₹ 11,280.00	
51				बोल्डर पत्थर	₹ 60.00	116	cft	₹ 6,960.00	
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)									
52	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/ P/1/06.05.2023	380/18.03.2023	रेता	₹ 46.00	129	cft	₹ 5,934.00	उपलब्ध नहीं है
53				बजरी	₹ 38.00	239.68	cft	₹ 9,107.84	

(Handwritten signatures and marks)

54	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/4/06.05.2023	379/11.03.2023	रेता	₹ 46.00	238	cft	₹ 10,948.00	उपलब्ध नहीं है
56	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/6/06.05.2023	378/01.03.2023	बजरी	₹ 38.00	436.73	cft	₹ 16,595.74	उपलब्ध नहीं है
57	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/6/06.05.2023	378/01.03.2023	रेता	₹ 46.00	141	cft	₹ 6,486.00	उपलब्ध नहीं है
58	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/28/04.11.2023	17/30.06.2023	बजरी	₹ 38.00	248	cft	₹ 9,424.00	उपलब्ध नहीं है
59	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/28/04.11.2023	17/30.06.2023	Sand	₹ 46.00	240	cft	₹ 11,040.00	उपलब्ध नहीं है
60	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/28/04.11.2023	17/30.06.2023	Bajri	₹ 38.00	58.07	cft	₹ 2,206.66	उपलब्ध नहीं है
61	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/30/04.11.2023	18/30.06.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1845	Per Stone	₹ 13,837.50	उपलब्ध नहीं है
62	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/30/04.11.2023	18/30.06.2023	Sand	₹ 46.00	240	cft	₹ 11,040.00	उपलब्ध नहीं है
63	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/30/04.11.2023	18/30.06.2023	Bajri	₹ 38.00	58	cft	₹ 2,204.00	उपलब्ध नहीं है
64	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/33/04.11.2023	19/01.07.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1698	Per Stone	₹ 12,735.00	उपलब्ध नहीं है
65	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/33/04.11.2023	19/01.07.2023	Sand	₹ 46.00	375	cft	₹ 17,250.00	उपलब्ध नहीं है
66	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/33/04.11.2023	19/01.07.2023	Bajri	₹ 38.00	475	cft	₹ 18,050.00	उपलब्ध नहीं है
67	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/35/04.11.2023	20/01.07.2023	Boulder	₹ 1,800.00	5	Trolley	₹ 9,000.00	उपलब्ध नहीं है
68	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/35/04.11.2023	20/01.07.2023	Sand	₹ 46.00	106	cft	₹ 4,876.00	उपलब्ध नहीं है
69	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/35/04.11.2023	20/01.07.2023	Bajri	₹ 38.00	212	cft	₹ 8,056.00	उपलब्ध नहीं है
70	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/37/04.11.2023	21/01.07.2023	Sand	₹ 46.00	455	cft	₹ 20,930.00	उपलब्ध नहीं है
71	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/37/04.11.2023	21/01.07.2023	Bajri	₹ 38.00	884	cft	₹ 33,592.00	उपलब्ध नहीं है
72	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/37/04.11.2023	21/01.07.2023	Boulder	₹ 1,800.00	4	Trolley	₹ 7,200.00	उपलब्ध नहीं है
73	Pawan Singh	XVFC/2023-24/P/58/14.12.2023	Receipt/30.10.2023	Sand	₹ 60.00	176	घोडा	₹ 10,560.00	उपलब्ध नहीं है
74	Pawan Singh	XVFC/2023-24/P/58/14.12.2023	Receipt/30.10.2023	Bajri	₹ 60.00	357	घोडा	₹ 21,420.00	उपलब्ध नहीं है
75	Pawan Singh	XVFC/2023-24/P/58/14.12.2023	Receipt/30.10.2023	Boulder	₹ 60.00	190	घोडा	₹ 11,400.00	उपलब्ध नहीं है
76	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/70/03.03.2024	404/01.01.2024	Sand	₹ 46.00	150	cft	₹ 6,900.00	उपलब्ध नहीं है
77	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/70/03.03.2024	404/01.01.2024	Bajri	₹ 38.00	280	cft	₹ 10,640.00	उपलब्ध नहीं है
78	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/73/03.03.2024	403/01.12.2023	Sand	₹ 46.00	314	cft	₹ 14,444.00	उपलब्ध नहीं है
79	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/73/03.03.2024	403/01.12.2023	Bajri	₹ 38.00	596	cft	₹ 22,648.00	उपलब्ध नहीं है
80	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/77/03.03.2024	405/01.02.2024	Sand	₹ 46.00	750	cft	₹ 34,500.00	उपलब्ध नहीं है
81	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/77/03.03.2024	405/01.02.2024	Bajri	₹ 38.00	1070	cft	₹ 40,660.00	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : स्वच्छ भारत मिशन (SBM)									
81	Chetan Singh Govt. Contractor	3/17.05.2023	352/03.02.2023	Sand	₹ 46.00	140	cft	₹ 6,440.00	उपलब्ध नहीं है
82	Chetan Singh Govt. Contractor	3/17.05.2023	352/03.02.2023	Bajri	₹ 38.00	125	cft	₹ 4,750.00	उपलब्ध नहीं है
83	Chetan Singh Govt. Contractor	3/17.05.2023	352/03.02.2023	Boulder	₹ 1,800.00	2	Trolley	₹ 3,600.00	उपलब्ध नहीं है
84	Chetan Singh Govt. Contractor	18/30.06.2023	395/03.02.2023	Sand	₹ 46.00	350	cft	₹ 16,100.00	उपलब्ध नहीं है
85	Chetan Singh Govt. Contractor	18/30.06.2023	395/03.02.2023	Bajri	₹ 38.00	200	cft	₹ 7,600.00	उपलब्ध नहीं है
86	Chetan Singh Govt. Contractor	18/30.06.2023	395/03.02.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1350	Per Stone	₹ 10,125.00	उपलब्ध नहीं है
87	Chetan Singh Govt. Contractor	24/30.06.2023	398/01.03.2023	रेता	₹ 46.00	400	Cft	₹ 18,400.00	उपलब्ध नहीं है
88	Chetan Singh Govt. Contractor	24/30.06.2023	398/01.03.2023	बजरी	₹ 38.00	400	Cft	₹ 15,200.00	उपलब्ध नहीं है
89	Chetan Singh Govt. Contractor	24/30.06.2023	398/01.03.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 1,800.00	2	Trolley	₹ 3,600.00	उपलब्ध नहीं है
90	Chetan Singh Govt. Contractor	28/30.06.2023	400/10.03.2023	रेता	₹ 46.00	350	cft	₹ 16,100.00	उपलब्ध नहीं है
91	Chetan Singh Govt. Contractor	28/30.06.2023	400/10.03.2023	बजरी	₹ 38.00	200	cft	₹ 7,600.00	उपलब्ध नहीं है
92	Chetan Singh Govt. Contractor	28/30.06.2023	400/10.03.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1500	Per Stone	₹ 11,250.00	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
93	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	340/14/03/2023	Sand	₹ 1,111.00	15.89	Cum	₹ 17,653.00	उपलब्ध नहीं है
94	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	340/14/03/2023	Aggeragate	₹ 1,069.00	25.94	Cum	₹ 27,729.00	उपलब्ध नहीं है
95	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	340/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	7.04	Cum	₹ 5,392.00	उपलब्ध नहीं है
96	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	343/23/06/2023	Sand	₹ 1,111.00	21.71	Cum	₹ 24,119.81	उपलब्ध नहीं है
97	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	343/23/06/2023	Aggeragate	₹ 1,069.00	26.34	Cum	₹ 28,157.46	उपलब्ध नहीं है
98	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	343/23/06/2023	Boulder	₹ 766.00	7.04	Cum	₹ 5,392.64	उपलब्ध नहीं है
99	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	345/14/03/2023	Sand	₹ 1,111.00	21.71	Cum	₹ 24,119.81	उपलब्ध नहीं है
100	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	345/14/03/2023	Aggeragate 20 mm	₹ 1,276.00	11.08	Cum	₹ 14,138.08	उपलब्ध नहीं है
101	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	345/14/03/2023	Aggeragate 40 mm	₹ 1,069.00	30.03	Cum	₹ 32,102.07	उपलब्ध नहीं है
102	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	345/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	11.2	Cum	₹ 8,579.20	उपलब्ध नहीं है
103	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	344/14/03/2023	Sand	₹ 1,111.00	13.69	Cum	₹ 15,209.59	उपलब्ध नहीं है
104	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	344/14/03/2023	Aggeragate 10mm	₹ 1,281.00	0.97	Cum	₹ 1,242.57	उपलब्ध नहीं है
105	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	344/14/03/2023	Aggeragate 20 mm	₹ 1,276.00	4.92	Cum	₹ 6,277.92	उपलब्ध नहीं है
106	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	344/14/03/2023	Aggeragate 40 mm	₹ 1,069.00	10.01	Cum	₹ 10,700.69	उपलब्ध नहीं है
107	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	342/14/03/2023	Sand	₹ 1,111.00	18.93	Cum	₹ 21,031.23	उपलब्ध नहीं है
108	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	342/14/03/2023	Aggeragate 10mm	₹ 1,281.00	5.49	Cum	₹ 7,032.69	उपलब्ध नहीं है
109	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	342/14/03/2023	Aggeragate 20 mm	₹ 1,276.00	23.36	Cum	₹ 29,807.36	उपलब्ध नहीं है
110	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	342/14/03/2023	Aggeragate 40 mm	₹ 1,069.00	4.67	Cum	₹ 4,992.23	उपलब्ध नहीं है
111	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	342/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	32.89	Cum	₹ 25,193.74	उपलब्ध नहीं है
112	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	341/14/03/2023	Sand	₹ 1,111.00	15.64	Cum	₹ 17,376.04	उपलब्ध नहीं है
113	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	341/14/03/2023	Aggeragate 10mm	₹ 1,281.00	3.98	Cum	₹ 5,098.38	उपलब्ध नहीं है
114	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	341/14/03/2023	Aggeragate 20 mm	₹ 1,276.00	16.01	Cum	₹ 20,428.76	उपलब्ध नहीं है
115	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	341/14/03/2023	Aggeragate 40 mm	₹ 1,069.00	10.47	Cum	₹ 11,192.43	उपलब्ध नहीं है
116	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	341/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	48.36	Cum	₹ 37,043.76	उपलब्ध नहीं है
117	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	346/14/03/2023	Sand	₹ 1,626.00	7.03	Cum	₹ 11,430.78	उपलब्ध नहीं है
118	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	346/14/03/2023	Aggeragate	₹ 1,272.00	4	Cum	₹ 5,088.00	उपलब्ध नहीं है
कुल जोड़ (R/Off)								₹ 23,16,987.00	

DRS Gram Panchayat
Dev. Block Kangra

Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (H.P.)

Panchayat Secretary,
Gram Panchayat
Dev. Block Kangra
Distt. Kangra (H. R.)

99

ग्राम पंचायत पलेरा द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹ 5.82 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	टिप्पणी
1	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	340/14/03/2023	Sand	1111	15.89	cum	₹ 17,653.79	ग्राम पंचायत द्वारा निविदा आमंत्रण एवं पारित संबंधी औपचारिकताएँ/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये
2				Aggeregaregate	1069	25.94	cum	₹ 27,729.86	
3				Boulder	766	7.04	cum	₹ 5,392.64	
4							Shuttering	4194	
5	Magic Base Concrete	Nil/23/06/2023	776/14/03/2023	Cement Block	49	549	nos	₹ 26,901.00	
6	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	343/14/03/2023	Sand	1111	21.71	cum	₹ 24,119.81	
7				Aggeregaregate	1069	26.34	cum	₹ 28,157.46	
8				Boulder	766	7.04	cum	₹ 5,392.64	
9	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	345/14/03/2023	Sand	1111	21.71	cum	₹ 24,119.81	
10				Aggeregaregate 20 mm	1276	11.08	cum	₹ 14,138.08	
11				Aggeregaregate 40 mm	1069	30.03	cum	₹ 32,102.07	
12				Boulder	766	11.2	cum	₹ 8,579.20	
13	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	344/14/03/2023	Shuttering	4194	2.06	sqft	₹ 8,639.64	
14				Sand	1111	13.69	cum	₹ 15,209.59	
15				Aggeregaregate 10mm	1281	0.97	cum	₹ 1,242.57	
16				Aggeregaregate 20 mm	1276	4.92	cum	₹ 6,277.92	
17	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	342/14/03/2023	Aggeregaregate 40 mm	1069	10.01	cum	₹ 10,700.69	
18				Sand	1111	18.93	cum	₹ 21,031.23	
19				Aggeregaregate 10mm	1281	5.49	cum	₹ 7,032.69	
20				Aggeregaregate 20 mm	1276	23.36	cum	₹ 29,807.36	
21	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	341/14/03/2023	Aggeregaregate 40 mm	1069	4.67	cum	₹ 4,992.23	
22				Boulder	766	32.89	cum	₹ 25,193.74	
23				Sand	1111	15.64	cum	₹ 17,376.04	
24				Aggeregaregate 10mm	1281	3.98	cum	₹ 5,098.38	
25	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	346/14/03/2023	Aggeregaregate 20 mm	1276	16.01	cum	₹ 20,428.76	
26				Aggeregaregate 40 mm	1069	10.47	cum	₹ 11,192.43	
27				Boulder	766	48.36	cum	₹ 37,043.76	
28				Sand	1626	7.03	cum	₹ 11,430.78	
29	Chetan Singh Govt. Contractor	Nil/23/06/2023	346/14/03/2023	Aggeregaregate	1272	4	cum	₹ 5,088.00	
30				Shuttering	90	44.44	sqft	₹ 3,999.60	
अनुदान शीर्ष : स्वच्छ भारत मिशन (SBM)									
31	Chetan Singh Govt. Contractor	3/17.05.2023	352/03.02.2023	Sand	₹ 46.00	140	cft	₹ 6,440.00	
32				Bajri	₹ 38.00	125	cft	₹ 4,750.00	
33				Boulder	₹ 1,800.00	2	Trali	₹ 3,600.00	
34	Chetan Singh Govt. Contractor	18/30.06.2023	395/03.02.2023	Sand	₹ 46.00	350	cft	₹ 16,100.00	
35				Bajri	₹ 38.00	200	cft	₹ 7,600.00	
36				Cut Stone	₹ 7.50	1350	Per Stone	₹ 10,125.00	
37	Chetan Singh Govt. Contractor	24/30.06.2023	398/01.03.2023	रेता	₹ 46.00	400	Cft	₹ 18,400.00	
38				बजरी	₹ 38.00	400	Cft	₹ 15,200.00	
39				बोल्डर पत्थर	₹ 1,800.00	2	Trali	₹ 3,600.00	
40	Chetan Singh Govt. Contractor	28/30.06.2023	400/10.03.2023	रेता	₹ 46.00	350	cft	₹ 16,100.00	
41				बजरी	₹ 38.00	200	cft	₹ 7,600.00	
42				Cut Stone	₹ 7.50	1500	Per Stone	₹ 11,250.00	
कुल जोड़ (R/Off)								₹ 5,81,828.00	

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा
आमंत्रण एवं पारित संबंधी
औपचारिकताएँ/अभिलेख अंकेक्षण
में प्रस्तुत नहीं किए गये

Shr
Jasvinder Singh
GRS Cham Panchay
Dev. Block Kangra

(Ry)
 (Ry) *reduces*
 Palam

Abd Kurnia
Paksa
Kansel



पंचायत पलेरा द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियाँ (Voids) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.60 लाख का अधिक/ अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23										
क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./दिनांक	बिल सं./दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	भुगतान की गई राशी	कटौती दर	रिक्तियाँ (Voids)
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Sources)										
1	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2022-23/P/09/20.10.2022	281/28.01.2022	Boulder	₹ 1,800.00	24	cft	₹ 43,200.00	12.5 %	₹ 5,400.00
अनुदान शीर्ष : 5वां राज्य वित्त आयोग (5 th SFC)										
2	Chetan Singh Govt. Contractor	5THSFC/2022-23/P/46/28.03.2023	349/02.06.2022	Boulder	₹ 1,800.00	18	Trolley	₹ 32,400.00	12.5 %	₹ 4,050.00
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)										
3	Britiya Ram	XVFC/2022-23/P/17/03.02.2023	Receipt/03.02.2023	बोडर पत्थर	₹ 60.00	42	घोड़े	₹ 2,520.00	12.5 %	₹ 315.00
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)										
4	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	196/05/06/2021	Boulder	₹ 1,162.00	4.41	cum	₹ 5,124.42	12.5 %	₹ 640.55
5	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	259/21/10/2021	Boulder	₹ 1,800.00	25	Trolley	₹ 45,000.00	12.5 %	₹ 5,625.00
6	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	258/02/08/2021	Boulder	₹ 1,800.00	19	Trolley	₹ 34,200.00	12.5 %	₹ 4,275.00
7	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	257/02/08/2021	Boulder	₹ 1,800.00	20	Trolley	₹ 36,000.00	12.5 %	₹ 4,500.00
8	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	170/01/07/2021	Boulder	₹ 1,350.00	32.85	cft	₹ 44,347.50	12.5 %	₹ 5,543.44
9	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	260/21/10/2021	Boulder	₹ 1,800.00	8	Trolley	₹ 14,400.00	12.5 %	₹ 1,800.00
10	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	261/22/10/2021	Boulder	₹ 1,800.00	17	Trolley	₹ 30,600.00	12.5 %	₹ 3,825.00
11	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/17/05/2022	197/17/07/2021	Boulder	₹ 1,162.00	6.93	cum	₹ 8,052.66	12.5 %	₹ 1,006.58
वित्त वर्ष 2023-24										
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Sources)										
12	Chetan Singh Govt. Contractor	OWN/2023-24/P/16/31.01.2024	22/01.05.2023	Boulder	₹ 1,800.00	9	Trolley	₹ 16,200.00	12.5 %	₹ 2,025.00
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)										
13	Pawan Singh	VKVNY/2023-24/P/2/14.12.2023	Receipt/14.12.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 60.00	116	घोड़े	₹ 6,960.00	12.5 %	₹ 870.00
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)										
14	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/28/04.11.2023	17/30.06.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1845	Per Stone	₹ 13,837.50	12.5 %	₹ 1,729.69
15	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/30/04.11.2023	18/30.06.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1698	Per Stone	₹ 12,735.00	12.5 %	₹ 1,591.88
16	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/33/04.11.2023	19/01.07.2023	Boulder	₹ 1,800.00	5	Trolley	₹ 9,000.00	12.5 %	₹ 1,125.00
17	Chetan Singh Govt. Contractor	XVFC/2023-24/P/37/04.11.2023	21/01.07.2023	Boulder	₹ 1,800.00	4	Trolley	₹ 7,200.00	12.5 %	₹ 900.00
18	Pawan Singh	XVFC/2023-24/P/58/14.12.2023	Receipt/30.10.2023	Boulder	₹ 60.00	190	घोड़ा	₹ 11,400.00	12.5 %	₹ 1,425.00
अनुदान शीर्ष : स्वच्छ भारत मिशन (SBM)										
19	Chetan Singh Govt. Contractor	3/17.05.2023	352/03.02.2023	Boulder	₹ 1,800.00	2	Trolley	₹ 3,600.00	12.5 %	₹ 450.00
20	Chetan Singh Govt. Contractor	18/30.06.2023	395/03.02.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1350	Per Stone	₹ 10,125.00	12.5 %	₹ 1,265.63
21	Chetan Singh Govt. Contractor	24/30.06.2023	398/01.03.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 1,800.00	2	Trolley	₹ 3,600.00	12.5 %	₹ 450.00
22	Chetan Singh Govt. Contractor	28/30.06.2023	400/10.03.2023	Cut Stone	₹ 7.50	1500	Per Stone	₹ 11,250.00	12.5 %	₹ 1,406.25
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)										
23	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	340/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	7.04	Cum	₹ 5,392.64	12.5 %	₹ 674.08
24	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	343/23/06/2023	Boulder	₹ 766.00	7.04	Cum	₹ 5,392.64	12.5 %	₹ 674.08
25	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	345/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	11.2	Cum	₹ 8,579.20	12.5 %	₹ 1,072.40
26	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	342/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	32.89	Cum	₹ 25,193.74	12.5 %	₹ 3,149.22
27	Chetan Singh Govt. Contractor	NIL/23/06/2023	341/14/03/2023	Boulder	₹ 766.00	48.36	Cum	₹ 37,043.76	12.5 %	₹ 4,630.47
कुल जोड़ (R/Off)								₹ 4,83,354.06		₹ 60,419.00

Jai Vinder Singh

Rajan Kumar Palon

3/ Subeena And Kumar Palon
Kongli



परिशिष्ट " अ " , पैरा संख्या " 8.4 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत पलेरा द्वारा अपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T.T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.67 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	M/S Kathla Borewell Village Sanouran, P.O. Gaggal, Kangra, GST No. 02ABIFM7139D1ZI	Instt Handpump	₹ 3,82,500.00	2%	₹ 7,650.00
2	2022-23	Chetan Singh Govt. Contractor, V.P.O. Ghalian, Teh & Distt Kangra, GST No. 02EBOPS4705R1ZY	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Tractor Carriage of Boulder and Shuttering	₹ 13,03,478.04	2%	₹ 26,069.56
3	2023-24	M/S. HIMACHAL TRADERS, V.P.O. Dodhamb, Teh Shahpur, Kangra GST No. 02DKFPK1435R2ZZ	Instt Shed ,FRP Portable Toilet , Instt Water Cooler, cooler structure, Tanki fitting, Instt Benches	₹ 3,34,525.00	2%	₹ 6,690.50
4	2023-24	Chetan Singh Govt. Contractor, V.P.O. Ghalian, Teh & Distt Kangra, GST No. 02EBOPS4705R1ZY	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Tractor Carriage of Boulder and Shuttering	₹ 13,20,636.29	2%	₹ 26,412.73
Total (R/Off)				₹ 33,41,139.00	2%	₹ 66,823.00

NOTE:-

1. There was no bifurcation of GST Paid in bills of Chetan Singh Govt. Contractor & M/S. HIMACHAL TRADERS therefore whole bill amount is considered for calculation of G.S.T. T.D.S.

2. Amount considered for calculation of G.S.T. T.D.S. of M/S Kathla Borewell is excluding GST

Anil Kumar
Panchayat Secretary,
Gram Panchayat PALERA
Dev. Block Kangra
Distt. Kangra (H. P.)

32

100

ग्राम पंचायत पलेरा द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधरोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.80 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	क्रय की गई मात्रा	भुगतान की गई दर	भुगतान की गई राशी	हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुमोदित दर	हि० प्र० बागवानी विभाग की अनुमोदित दर भुगतान योग्य राशि	अंतर
1	Madan Fruit Plants	Nil/06/12/2022	915/10/08/2022	MANGO PLANT	50	₹ 135.00	₹ 6,750.00	₹ 30.00	₹ 1,500.00	₹ 5,250.00
2				Nimbu	50	₹ 115.00	₹ 5,750.00	₹ 30.00	₹ 1,500.00	₹ 4,250.00
3				MOSSAMI PLANT	30	₹ 125.00	₹ 3,750.00	₹ 50.00	₹ 1,500.00	₹ 2,250.00
4				AMBLA PLANT	50	₹ 135.00	₹ 6,750.00	₹ 55.00	₹ 2,750.00	₹ 4,000.00
5	Madan Fruit Plants	Nil/06/12/2022	912/10/08/2022	AMBLA PLANT	100	₹ 135.00	₹ 13,500.00	₹ 55.00	₹ 5,500.00	₹ 8,000.00
6	Madan Fruit Plants	Nil/06/12/2022	910/10/08/2022	Nimbu	160	₹ 115.00	₹ 18,400.00	₹ 30.00	₹ 4,800.00	₹ 13,600.00
7				ORANGE PLANT	150	₹ 125.00	₹ 18,750.00	₹ 50.00	₹ 7,500.00	₹ 11,250.00
8				MOSSAMI PLANT	30	₹ 125.00	₹ 3,750.00	₹ 50.00	₹ 1,500.00	₹ 2,250.00
9	Madan Fruit Plants	Nil/06/12/2022	911/10/08/2022	ORANGE PLANT	25	₹ 125.00	₹ 3,125.00	₹ 50.00	₹ 1,250.00	₹ 1,875.00
10				MOSSAMI PLANT	25	₹ 125.00	₹ 3,125.00	₹ 50.00	₹ 1,250.00	₹ 1,875.00
11				AMBLA PLANT	100	₹ 135.00	₹ 13,500.00	₹ 55.00	₹ 5,500.00	₹ 8,000.00
12				Kathal	5	₹ 105.00	₹ 525.00	₹ 25.00	₹ 125.00	₹ 400.00
13	Madan Fruit Plants	0/10/08/2021	3808/17/05/2022	Kinnu	50	₹ 115.00	₹ 5,750.00	₹ 50.00	₹ 2,500.00	₹ 3,250.00
14				Nimbu	20	₹ 105.00	₹ 2,100.00	₹ 30.00	₹ 600.00	₹ 1,500.00
15	Madan Fruit Plants	0/10/08/2021	3803/17/05/2022	Kinnu	50	₹ 115.00	₹ 5,750.00	₹ 50.00	₹ 2,500.00	₹ 3,250.00
16				Nimbu	50	₹ 105.00	₹ 5,250.00	₹ 30.00	₹ 1,500.00	₹ 3,750.00
17				Amb	50	₹ 125.00	₹ 6,250.00	₹ 30.00	₹ 1,500.00	₹ 4,750.00
							कुल जोड़		₹ 1,22,775.00	

GRS
De

By
Rajon Lalun
Gram Panchayat
Dev. Block

Ajit Kumar
Gram Panchayat
Dev. Block



ग्राम पंचायत पलेरा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना व माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करना तथा नमूना जांच न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹49.48 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	एम०वी० सं०	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
1	नि गोशाला नजदीक सतीश कुमार डाका वाई नं० 2	2022-2023	₹ 99,500.00	₹ 69,188.00	₹ 69,188.00	₹ 69,188.00	136/17783	33-34	पूर्ण
2	नि गोशाला नजदीक विक्रम सिंह की जमीन में पलेरा	2022-2023	₹ 1,00,000.00	₹ 82,383.00	₹ 82,383.00	₹ 99,900.00	136/17783	26-27	पूर्ण
3	नि गोशाला नजदीक गुरमीत सिंह की जमीन में	2022-2023	₹ 80,700.00	₹ 59,822.00	₹ 59,822.00	₹ 59,822.00	136/17783	23-24	पूर्ण
4	नि० लिंक रोड मैन सड़क से बुधी सिंह पलेरा वाई नं० 4	2022-2023	₹ 2,32,000.00	₹ 1,84,075.00	₹ 1,84,075.00	₹ 2,14,320.00	136/17783	50	पूर्ण
5	नि० कचा तालाब बंदल वाई नं० 3	2022-2023	₹ 2,98,000.00	₹ 2,95,316.00	₹ 2,95,316.00	₹ 2,98,000.00	136/17783	48	पूर्ण
6	नि० तालाब टीका टल्ला	2022-2023	₹ 2,98,000.00	₹ 2,58,640.00	₹ 2,58,640.00	₹ 2,64,000.00	136/17783	50	पूर्ण
7	नि० कचा तालाब टीका बंदल वाई नं० 3	2022-2023	₹ 1,63,000.00	₹ 59,885.00	₹ 59,885.00	₹ 1,63,000.00	136/17783	51	पूर्ण
8	नि गोशाला नजदीक रमेश चंद की जमीन में	2022-2023	₹ 80,700.00	₹ 59,010.00	₹ 59,010.00	₹ 59,010.00	136/17783	32-33	पूर्ण
9	नि० पौधारोपण तरलोक सिंह की जमीन में बंदल	2022-2023	₹ 97,900.00	₹ 43,794.00	₹ 43,794.00	₹ 47,528.00	9118	98	पूर्ण
10	नि० पौधारोपण कर्म सिंह की जमीन में बंदल	2022-2023	₹ 99,500.00	₹ 65,359.00	₹ 65,359.00	₹ 78,091.00	9118	96	पूर्ण
11	नि० पौधारोपण रजा देवी w/o राम चंद की जमीन में पलेरा	2022-2023	₹ 99,500.00	₹ 70,683.00	₹ 70,683.00	₹ 83,605.00	9118	97	पूर्ण
12	नि० पौधारोपण किशन सिंह की जमीन में बंदल	2022-2023	₹ 99,700.00	₹ 82,502.00	₹ 82,502.00	₹ 82,502.00	9118	99	पूर्ण
13	C/O WATER COURSE कुहल सुखदेव सिंह की जमीन से चौकी कुजी नाला	2022-2023	₹ 2,98,000.00	₹ 2,60,309.00	₹ 2,60,309.00	₹ 2,80,440.00	9118	94-95	पूर्ण
14	नि० एम्बुलेंस रोड मोहिंदर सिंह के घर से नगाल टपा	2022-2023	₹ 3,00,000.00	₹ 2,29,410.00	₹ 2,29,410.00	₹ 2,32,115.00	136/17783	13	पूर्ण
15	नि० एम्बुलेंस रोड सड़क मशौन से हरिजन बस्ती शेर सिंह	2022-2023	₹ 3,00,000.00	₹ 1,93,193.00	₹ 1,93,193.00	₹ 2,35,356.00	136/17783	13-14	पूर्ण
16	नि० एम्बुलेंस रोड सुबाष चंद की गोशाला से वीना देवी के घर तक	2022-2023	₹ 3,00,000.00	₹ 2,21,905.00	₹ 2,21,905.00	₹ 2,85,000.00	136/17783	15-16	पूर्ण
17	नि० लिंक रोड नकाली से उतम चन्द बाबु राम के घर तक	2022-2023	₹ 3,00,000.00	₹ 2,41,290.00	₹ 2,41,290.00	₹ 2,46,000.00	9118	90-91	पूर्ण
18	नि० एम्बुलेंस रोड सड़क से ब्रिज लाल के घर से जगदीश के घर तक	2022-2023	₹ 2,99,000.00	₹ 2,22,669.00	₹ 2,22,669.00	₹ 2,80,000.00	136/17783	16-17	पूर्ण
19	नि० एम्बुलेंस रोड सड़क से राय चन्द के घर तक	2022-2023	₹ 3,00,000.00	₹ 2,26,390.00	₹ 2,26,390.00	₹ 2,35,000.00	136/17783	18-19	पूर्ण
20	C/O WATER COURSE कुहल रुको देवी की जमीन में वाई नं० 5	2022-2023	₹ 3,00,000.00	₹ 1,99,486.00	₹ 1,99,486.00	₹ 1,99,486.00	9118	93-94	पूर्ण
21	Desilting Of तालाब बंदल वाई नं० 3	2023-2024	₹ 45,600.00	₹ 38,976.00	₹ 38,976.00	₹ 45,554.00	206/33030	10	पूर्ण
22	Desilting Of तालाब पलेरा वाई नं० 4	2023-2024	₹ 35,300.00	₹ 29,344.00	₹ 29,344.00	₹ 31,794.00	206/33030	9	पूर्ण
23	Desilting Of तालाब टिक्का डाका बाबड़ी के पास	2023-2024	₹ 52,000.00	₹ 42,336.00	₹ 42,336.00	₹ 45,944.00	206/33030	12	पूर्ण
24	Desilting Of तालाब बिलगल वाई नं० 1	2023-2024	₹ 54,600.00	₹ 45,696.00	₹ 45,696.00	₹ 51,957.00	206/33030	10	पूर्ण
25	C/O WATER COURSE कुहल बलदेव सिंह के खेत से जालिम सिंह के घर तक	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 1,84,570.00	₹ 1,84,570.00	₹ 1,95,044.00	136/17783	40-41	पूर्ण
26	नि० गोशाला राजेश कुमार बंदल वाई नं० 3	2022-2023	₹ 99,900.00	₹ 77,584.00	₹ 77,584.00	₹ 99,000.00	136/17783	24-25	पूर्ण
27	C/O WATER COURSE कुहल परवीन कुमार के घर से नन्द लाल के घर तक	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 2,04,655.00	₹ 2,04,655.00	₹ 2,06,651.00	136/17783	42-43	पूर्ण
28	C/O WATER COURSE कुहल जय चंद के खेत से बलबीर सिंह के खेत तक	2021-2022	₹ 3,00,000.00	₹ 2,48,532.00	₹ 2,48,532.00	₹ 2,54,925.00	136/17783	44-45	पूर्ण
29	नि० एम्बुलेंस रोड इंटर लोक टाइल कर्म चंद के घर से नागाल टल्ला	2021-2022	₹ 2,96,000.00	₹ 2,19,327.00	₹ 2,19,327.00	₹ 2,79,850.00	136/17783	43-44	पूर्ण
30	नि० एम्बुलेंस रोड नाला से सर्वजीत सरवन के घर तक	2021-2022	₹ 3,00,000.00	₹ 2,23,325.00	₹ 2,23,325.00	₹ 2,32,000.00	136/17783	37-38	पूर्ण
31	नि० एम्बुलेंस रोड जीत कुमार के घर से राकेश कुमार के घर तक	2021-2022	₹ 2,99,000.00	₹ 2,75,938.00	₹ 2,75,938.00	₹ 2,87,939.00	136/17783	39-40	पूर्ण
32	नि० रेन वाटर हार्वेस्टिंग जगरूप सिंह की जमीन में पलेरा	2021-2022	₹ 1,00,000.00	₹ 99,197.00	₹ 99,197.00	₹ 1,10,000.00	136/17783	52	पूर्ण
33	Desilting Of तालाब डाका वाई नं० 2	2023-2024	₹ 69,100.00	₹ 60,480.00	₹ 60,480.00	₹ 60,480.00	206/33030	11	पूर्ण
34	Desilting Of तालाब सतपाल के घर के पास वाई नं० 2	2023-2024	₹ 71,200.00	₹ 50,176.00	₹ 50,176.00	₹ 56,025.00	206/33030	12	पूर्ण
35	Desilting Of तालाब जट्टेहड बाई नं० 5	2023-2024	₹ 33,700.00	₹ 22,848.00	₹ 22,848.00	₹ 25,508.00	206/33030	9	पूर्ण
				कुल व्यय राशि जोड़	₹ 49,48,293.00				

Jaivinder Singh
Distt. Kangra

Ryan Lalun
Distt. Kangra (H. P.)

34

